राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर
E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrhm@yahoo.in Tel. No. 0141-5110731

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/17/249 दिनांक 28/4/17

परिपत्र

राज्य में निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना की सभी चिन्हित श्रेणीयों के रोगियों/परिवारों को तीनों योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना की समस्त चिन्हित श्रेणीयों के परिवार के रोगियो का निःशुल्क उपचार किये जाने हेतु पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में पुनः निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। अतः मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के लाभार्थीयों को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का यथासंभव अधिकतम लाभ दिया जावे। इसके उपरान्त ही मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना से लाभ प्रदान किये जावे। किसी भी दशा में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अनुज्ञेय लाभ हेतु कोई राशि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में वहन नहीं की जावेगी।

1. ओपीडी रोगियों का उपचार प्रथमतः मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा/जाँच योजना में किया जावे। यदि कोई दवा अथवा जाँच एमएनडीवाई/एमएनजेवाई में उपलब्ध ना हो तो एमएनडीवाई स्टोर/डीडीडबल्यू से एनओसी प्राप्त कर स्थानीय बाजार से निविदा के आधार पर क्रय कर उपलब्ध करवाई जावे। एमएनडीवाई/एमएनजेवाई में उपलब्ध करवाई गई दवा व जाँच में व्यय की गई राशि को एमएमजेआरके में बुक नहीं किया जावे। जो दवा अथवा जाँच बाजार से उपलब्ध कराई जावे उसका माहवार/दवावार/रोगी का नाम/राशि का विवरण मुख्यालय को भिजवाया जावेगा।
2. एमएमजेआरके योजना की सभी चिन्हित श्रेणी के परिवारों/रोगियों का समावेशन बीएसबीवाई योजना में करवाया जा चुका है। इसलिये एमएमजऐआरके योजना के लाभार्थीयों के आईपीडी रोगियों का उपचार बीएसबीवाई योजना में किया जावे। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने की दशा में उस रोगी का उपचार एमएमजेआरके योजना से किया जावेगा।

3. एमएमजेआरके योजना के लाभार्थीयों के लिये बाजार से क्रय की जाने वाली दवा का संपूर्ण रिकॉर्ड पृथक से रखा जावे। जिसमें ओपीडी अथवा वार्ड से प्राप्त मांग पत्र/फर्म को प्रेषित आदेश व प्राप्त बिल/स्टॉक रजिस्टर व प्राप्ति रसीद का ब्यौरा शामिल होगा।
4. एमएमजेआरके योजना में प्रतिमाह लाभान्वित होने वाले ओपीडी/आईपीडी रोगियों की मासिक सूचना प्रतिमाह की 10 तारीख तक मुख्यालय को भिजवाई जावेगी। जिसमें गंभीर बीमारी व उस पर व्यय राशि का विवरण पृथक से भिजवाया जावेगा।

शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन
निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
7. अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
13. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान।
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
15. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
17. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान।
18. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
19. प्रभारी सर्वर रुम कृपया सबंधित को ई–मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट/ सॉफ्टवेयर पर अपलोड करवाये।

परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष